National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.nationaljournals.com
ISSN: 2455-9040
Received: 21-12-2021, Accepted: 06-01-2022, Published: 22-01-2022
Volume 7, Issue 1, 2022, Page No. 8-10

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना में महिलाओं की भूमिकाः गुरूग्राम जिले के विशेष संदर्भ में

भगवान सिंह[1], संध्या तिवारी[2]
[1] शोधार्थी, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ, भारत
[2] सहायक प्रवक्ता, कलिंगा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ, भारत

सारांश
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उन ग्रामीणों को जो शारीरिक श्रम करने को तैयार है प्रत्येक वित्तिय वर्ष में 100 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराती है। यह योजना रोजगार के साथ उत्पादक सम्प्रदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण व विकास करने तथा गांवो से शहरो की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाने और सामाजिक करने में सहायता प्रदान करती है।

मूल शब्दः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, महिलाओं, भूमिका

प्रस्तावना
भारत एक कृषि प्रधान एंव ग्राम्य बाहुल्य राष्ट्र है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.06 करोड की थी। जिसमें से 83.35 करोड ग्राम्य क्षेत्रों में निवासरत थी परंतु वर्तमान में भारत की जनसंख्या 140 करोड तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार का मुख्य व्यवसाय सामान्तयः कृषि है और भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। जो अनिश्चित है। जिसके कारण अल्प वर्षा व अति वर्षा की स्थिति बनी रहती है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का कोई अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण बेरोजगारी व्यापक रूप में विद्यमान है। हमारे देश में बेरोजगारी व जनसंख्या वृद्धि जैसी ज्वलंत समस्या भयावह रूप ले चुकी है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवार को रोजगार उपलब्ध करा पाना संभव नही है। अतः रोजगार उपलब्ध न होने के कारण ग्रामवासी शहरों की ओर पलायन करने लगे है। गांव से शहरों की ओर पलायन पर रोक लगाने व निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर में सुधार हेतू व महिला श्रमिकों में सशक्तिकरण लाने हेतू केन्द्र सरकार द्वारा 5 सितम्बर 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण पहरवार 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह पहली ऐसी योजना है जिसमें गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है 2 अप्रैल 2008 से यह कानून भारत के सभी गांवों में लागू है।

शोध का उद्देश्य
शोध प्रबंध में निम्न उद्देश्यों को आधार बनाया गया है :–
1. मनरेगा में महिलाओं में सशक्तिकरण में वृद्धि करना।
2. मनरेगा में ग्रामीण महिलाओं के शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना।
3. मनरेगा में महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन एंव निराकरण करना।

शोध प्रविधि
शोध अध्ययन का मूलभूत आधार शोध सामग्री, समंक व सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है। प्राप्त समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन व प्रस्तुतीकरण किया गया है। शोध में प्राप्त समंको को आवश्यक जांच व विश्लेषणात्मक तुलना करने के बाद ही सम्मिलित किए गए हैं। शोध प्रबंध में सांख्यिकीय परिसीमाओं व आपदाओं को भी ध्यान में रखा गया है। इनके अलावा प्रश्नावली का चयन, निदर्शन विधि का उपयोग, समंको का ग्राफीय प्रदर्शन कर विश्लेषण व निर्वचन किया गया है।

परिकल्पना
प्रस्तुत शोध में निम्न परिकल्पना की गई है।
1. ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण महिलाओं के शहरो की ओर पलायन को रोकने में सहायक होगी।

मनरेगा का परिचय
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम ग्रामीण परिवारों के जीवन से चुडा है और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कृतसंकल्प है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षत्रों के उन अकुशल मजदूरों के लिए प्रतिवर्ष 100 दिन की मजदूरी की गारंटी देना है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने व ग्रामीण का शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को आंधप्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदापल्ली ग्राम से लागू किया गया। इसके पश्चात् प्रथम चरण में इस योजना को देश के अत्यंत पिछडे हुए 200 ग्रामीण जिलें में लागू किया गया और वित्त वर्ष 2007–08 में 130 जिलें इसमें और शामिल किये गये तत्पश्चात 1 अप्रैल 2008 को तुतीय चरण में भारत के शेष 585 ग्रामीण जिले में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम को संशोधित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। यह योजना भारत सरकार की योजना है जिसे मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास हेतू लागू किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनके निवास स्थल पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के निम्न उद्देश्य हैं :–
1. ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक कमजोर लोगों को

रोजगार के अवसर उपलब्ध करावाकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित करना।
2. स्थायी परिसम्पत्ति, बेहतर जल सुरक्षा, भूमि संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के निर्माण के द्वारा गरीब लोगो की जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना।
3. ग्रामीण भारत में सूखा–बचाव और बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करना।
4. समाज के हाशिए पर स्थित समुदायों विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के अधिकारों को कानून द्वारा सशक्त बनाना।
5. गरीबी दूर करने और आजीविका संबंधी विभिन्न पहलुओं को बढावा देने के जरिए विकेन्द्रीकरण और भागीदारी की विभिन्न योजना को मजबूत बनाना।
6. जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थानों का मजबूती प्रदान करके लोकतंत्र को सशक्त बनाना।
7. शासन में अधिक पारदर्शित और जवाबदेही लाना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना अपनी सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से ग्रामीण भारत में समग्र प्रगति का एक शक्तिशाली औजार बन गया है। इस योजना का क्रियान्वयन सभी ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को मातृत्व भत्ता, कार्यस्थल पर शिशुगृह, पेयजल और छप्पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में कोई लैंगिक भेदभाव नही किया जाता जिससे सामाजिक समानता बनी रहती है।

आंकडो का एकत्रीकरण एंव विश्लेषण

हरियाणा राज्य का एक बडा और घनी आबादी वाला जिला गुरूग्राम जिला है यह हरियाणा राज्य के दक्षिण –पश्चिम भाग में स्थित है।

तालिका 1: जिला गुरूग्राम के विकास खण्डवार पंचायतो एंव ग्रामों की संख्या 2021 की स्थिति के अनुसार

विकास खंण्ड	कुल पंचायतें	कुल गांव
सोहना	33	47
पटौदी	73	87
फरूखनगर	46	48
गुरूग्राम	10	11
कुल	162	193

उपलब्धियॉ

1. हरियाणा राज्य को मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन काम की गांरटी तथा महिलाओं की प्रसूति पर एक माह अवकाश के साथ मजदूरी प्रदान करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है।
2. मनरेगा के अंतर्गत मात्त्व प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को बिना काम के मजदूरी प्रदान की जाती है। गुरूग्राम जिले में मनरेगा के अंतर्गत कियान्वित कार्यों में ग्रामीण महिलाओं का 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। जिससे जिले को महिला सशक्तिकरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

समस्याऍ

1. कार्यस्थल पर समुचित सुविधा का अभाव होता है।
2. महिला श्रमिकों के अशिक्षित होने से मजदूरी भुगतान में मेटो के द्वारा गडबडी की जाती है।
3. मनरेगा में श्रमिकों को भुगतान बैंको व डाकघरों के माध्यम से होता है। अतः महिला श्रमिकों कों बैंको की औपचारिकताऍ पूरी करने में कठिनाई होती है।
4. महिला श्रमिक की फर्जी मस्टर रोल बनाया जाता है जिससे महिलाऍ योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाती है।
5. महिला श्रमिकों मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ते का ज्ञान नही होता है।
6. महिला श्रमिकों को शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी नही होती है।
7. महिलाओं को ग्रामीण सीमा के बाहर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

समाधान

1. कार्यस्थल पर समुचित सुविधा जैसे पेयजल, छप्पर, प्राथमिक चिकित्सा मुहैया करायी जानी चाहिए। अगर 06 साल से कम आयु के 05 या ज्यादा बच्चें हो तो झूलाघर की व्यवस्था की जानी चाहिए और झूलाघर की देखरेख के लिए महिला श्रमिक की नियुक्ति भी की जानी चाहिए।
2. महिला श्रमिकों को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे मेटो द्वारा की गई जालसाजी को जान सके।
3. महिला श्रमिकों के खाते खुलवाने के लिए बैंको व डाकघरों को स्वंय आगे आना चाहिए तथा बैंकों व डाकघरों की ही खाते खुलवाने से संबंधित औपचारिकताऍ पूरी करनी चाहिए।
4. सरकार द्वारा किसी उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसी विसंगति को रोका जा सके।
5. महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ता व शिकायत निवारण प्रणाली के बारे जानकारी दी जानी चाहिए।
6. ठेकेदार द्वारा महिला श्रमिकों के प्रति र्दुव्यवहार किए जाने पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।
7. जहॉ तक संभव हो सके महिलाओं को ग्रामीण सीमा के 05 कि.मी. के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सुझाव

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों द्वारा रोजगार के लिए किए गए आवेदन की जांच कर ही जॉब कार्ड का वितरण किया जाना चाहिए।
2. सरकार द्वारा समय पर निधि का भुगतान किया जाना चाहिए जिससे मजदूरों को भुगतान करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पडे।
3. सरकार को ठेकेदारों की नियुक्ति पर रोक लगाना चाहिए जिससे ग्रामीण परिवार अधिकाधिक हो सके।
4. ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित कर कुशल कार्यों में सम्मिलिक करना चाहिए जिससे प्रत्येक वर्ग के शिक्षित व अशिक्षित श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके।
5. योजना में कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी तौरपर की जानी चाहिए जिससे कार्यों का विशिष्टिकरण होगा जिसका लाभ श्रमिको व सरकार दोनों को प्राप्त होगा।
6. ऐसे कार्य जो मशीन की सहायता से किए जाते हैं उन कार्यो पर रोक लगानी चाहिए ताकि ग्रामीण परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।
7. सरकार द्वारा किसी उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करवाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसे विसंगति को रोका जा सके।
8. कार्यस्थल पर समुचित उपलब्ध कराना चाहिए।
9. मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यो की गुणवत्ता बढाए जाने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार

गारंटी योजना राज्य सरकार की लोकप्रिय योजनाओंमे से एक है। जिससे ग्रामीण महिलाओं में सशक्तिकरण का विकास हुआ है। इा योजना का ग्रामीण महिलाओं में सकारात्मक प्रभाव पडा है। योजना के माध्यम से ही से गुरूग्राम जिले का ग्रामीण विकास हुआ है तथा गुरूग्राम जिले को सर्वाधिक महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं का सशक्तिकरण हुअर है। अंत में इस योजना के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि मनरेगा महिलाओं की आत्मा है, महिलाओं का जीवन है, मनरेगा शरीर में धमनी की भांति है जो महिलाओं को जीवित रखती है।

संदर्भ

1. कुमार गौरवः समग्र ग्रामीण विकास के लिए ग्राम सभा सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र नई दिल्ली।
2. जगरबीर कोशिकः मनरेगा गरीबो का सुरक्षा कवच कुरूक्षेत्र नई दिल्ली।
3. राम जी यादवः भारत में ग्रामीण विकास।
4. डॉ0 विष्णु राजगढियाः मनरेगा (2013) राज कमल प्रकाशन।
5. शर्मा महेश (2011) महात्मा गांधी नरेगा प्रभात प्रकाशन।
6. बबु अशोकः (2019) भारत में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अविष्कार प्रकाशन।
7. शर्मा कर्मराजः (2019) भारत निर्माण एंव मनरेगा, रावत प्रकाशन नई दिल्ली।
8. कुमार सन्तोषः (2013) मनरेगा लिपिका प्रकाशन
9. मनरेगा समीक्षा (2007) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।
10. पंचायत एंव ग्रामीण विकास विवरण पत्रिका
11. साप्ताहिक समाचार पत्रः रोजगार और निर्माण।
12. दैनिक समाचार पत्रः दैनिक जागरण, उमर उजाला, दैनिक सवेरा, पंजाब केसरी।
13. Website
14. www.mgnrega.har.gov.in
15. www.nrega.nic.in
16. www.gurugram.gov.in